महत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन

सतपुडा भवन– भोपाल

कमांक 7 छावृशा / आउशि ./ 09 भोपाल,दिनांक 19/01/2009

प्रति,

1– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा।

2 प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–विकमादित्य योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भः–(1) इस कार्यालय,का पत्र कं 1599 / आउशि / 856 / 08 दिं 21.08.08
(2) स्मरण पत्र कं. 151 / 856 / छा / 08 दिनाक 04.09.08
(3) स्मरण पत्र कं. 1528 / छा / 08 दिनाक 30.09.08
(4) आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र कं.01 / आउशि / निक / 08 दिं.01.01.09

—o—

कृप्या विषयांकित योजना के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । यह संदर्भित पत्र विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध हैं, के संलग्न योजना की विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र संलग्न है । विकमादित्य योजना के अंतर्गत सामन्य वर्ग निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षण से छूट अर्थात् माफ की जाना है ।

2– उपरोक्त के सबंध में इस कार्यालय को योजना के तहत मात्र निर्धन मेधावी छात्रों की शिक्षण शुल्क की एकजाई जानकारी (जो महाविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों से ली गई है) चाही गई है ।छात्रों के आवेदन पत्र की जानकारी आपके अधिनस्थ कुछ महाविद्यालयों से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई हैं । शासकीय महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग के निर्धन वर्ग के मेधावी छात्र कितनी संख्या में अध्ययनरत हैं और उनके द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में कितनी शिक्षण शुल्क की राशि महाविद्यालय में जमा कराई है,की एकजाई जानकारी महाविद्यालयवार इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म.प्र. विकमादित्य योजना के तहत सामान्य निर्धन वर्ग के कितने छात्रों को पात्रतानुसार कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी,की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराये जिससे वांछित राशि का बजट आवंटन उपलब्ध कराया जा सके ।

3– उपरोक्त निर्देश पुनः आपको इसलिए दिये जा रहे हैं कि छात्रो को महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि पूर्व में 31 जुलाई 2008 निर्धारित की गई थी । चूंके प्रवेश की तिथि बाद में 14 अगस्त 2008 बढाई गई थी ऐसी स्थिति में और छात्रों ने प्रवेश लिये होगें ।

raj-1

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार एवं संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन जानकारी पूर्ण परीक्षण कर 03 दिवस में अनिवार्य रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें । **ई–मेल से भी जानकारी दें ।**

19/01/09
(डॉ0बी0के0श्रीवास्तव)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक 10 छावृशा/आउशि./ 09 भोपाल,दिनांक 19/01/2009

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2– प्राचार्य,समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
3– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ,उच्च शिक्षा संचालनालय,भोपाल ।

19/01/09
(डॉ0बी0के0श्रीवास्तव)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल